

**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू**

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

अपील संख्या 88/2020

1. दरिया सिंह पुत्र महताब, जाति जाट, निवासी गांव सारी, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।
2. श्रीमती सन्तोष पुत्री महताब, जाति जाट, निवासी गांव सारी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

---अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. ( 1 ) पतासी देवी पत्नि महताब सिंह
- 2 ( 2 ) नन्दलाल पुत्र महताब सिंह
- 2 ( 3 ) बलबीर पुत्र महताब सिंह
- 2 ( 4 ) दरिया सिंह पुत्र महताब सिंह
- 2 ( 5 ) संतोष देवी पुत्री महताब सिंह

समस्त जाति जाट, निवासी गांव सारी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

3. बबिता पत्नी बलबीर, जाति जाट, निवासी गांव सारी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

---रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण आदेश संख्या 815 दिनांक 29.01.2020 तहसीलदार चिडावा भूमि खसरा नम्बर 195, 401, 407/209 गांव सारी तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

उपस्थित:-

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट- अपीलान्ट्स की ओर से
2. श्री राजेश श्योराण, एडवोकेट- रेस्पोजेन्ट सं0 3 की ओर से
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोजेन्ट सं0 1 की ओर से
4. रेस्पोजेन्ट सं0 2 ( 1 ) लगायत 2 ( 5 ) बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

**आदेश**

दिनांक 09.05.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के आदेश दिनांक 29.01.2020 नामान्तरकरण संख्या 815 वाके ग्राम सारी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश है कि गांव सारी तहसील चिडावा में अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नं. 401 रकबा 4.10 हैक्टर व खसरा नं0 407/209 रकबा 0.90 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 5.57 हैक्टर स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 116, 196 व 114 है। उक्त भूमि धन्ना पुत्र मौकाराम कि स्वअर्जित भूमि रही है धन्ना ने उक्त भूमि को अपने जीवन काल में काश्त की है तथा धन्ना कि मृत्यु के बाद उसके वारिसान भूमि पर बहसियत विरासतन खातेदार बनकर मालिक हो गए। अपील मे उक्त भूमि को आगे विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। अपील के निस्तारण के लिए धन्नाराम कि वंशावली पेश करना आवश्यक है जो इस प्रकार है

<b>धन्नाराम</b>					
श्योप्रसाद	चतराराम	धोकलराम	महताब	भगवानाराम	केसर
1/5	1/5	1/5	1/25	1/5	
पतासी ( पत्नि )					
संतोष ( पुत्री )	नन्दलाल ( पुत्र )	बलबीर ( पुत्र )	दरिया सिंह ( पुत्र )		
1/25	1/25	1/25	1/25		
बबिता ( पुत्रवधु )					




सन्वत् 2012-2013 में ही विवादित भूमि खसरा नम्बर 401, 195, 407/209 धन्नाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है जिसने अपने जीवन काल में भूमि को काश्त किया है। धन्नाराम की मृत्यु हो

अनुसार अपने-अपने हिस्से में काबिज हो गए जिसका कोई विवाद नहीं है। अपीलान्त का पिता महताब उक्त भूमि के आदि पुरुष धन्नाराम का ही पुत्र है। जिसका पैतृक सम्पत्ति होने के कारण अपने पिता से 1/5 हिस्सा वंशानुगत प्राप्त हुआ है। महताब के तीन पुत्र नन्दलाल, बलबीर व दरियासिंह तथा एक पुत्री सन्तोष है। जिस प्रकार विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से यह सहदायिकी का गठन करती है। एक coparcerner property है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तथा अमेंडमेंट 2005 के तहत भी जिसमें सभी coparcerner सदस्यों का by birth हक होता है। महताब के सभी पुत्र भी मौके पर अपनी-अपनी भूमि का मौखिक बंटवारा करके काबिज है। अलग-अलग काश्त करते हैं, चूंकि महताब एक वृद्ध व्यक्ति है जिसने सभी पुत्रों को भूमि का बंटवारा करीब 14 वर्ष पहले ही कर दिया था। दिनांक 18.11.2019 को अपीलान्तस के पिता महताब ने अपीलान्त के दूसरे भाई व भाभी के अनुचित प्रभाव में आकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 401, 195, 407/209 में अपना हिस्सा 1/5 में से 1/15 बेचान अपीलान्त की भाभी के पक्ष में अवैध तरीके से पैतृक भूमि को अन्तरण कर विक्रय पत्र करवा दिया। चूंकि विवादित भूमि एक सहदायिक सम्पत्ति है। पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें अपीलान्त के पिता महताब मात्र हिस्सा 1/25 का ही अन्तरण कर सकता है जो मात्र 0.2228 हैक्टर भूमि का ही बेचान करके अन्तरण कर सकता है। पुश्तैनी/पैतृक भूमि का अपने हिस्से से ज्यादा बेचान कर्ता खानदान बिना परिवार के सदस्यों की सहमति के नहीं कर सकता अपीलान्त के पिता को प्रभाव में लेकर रेस्पोजेन्ट स. 3 ने एक नुमाईशी एवं फर्जी विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जो शून्य है। अवैध है। उक्त विक्रय पत्र से कोई भी अधिकार पैदा नहीं होते हैं। उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर न्यायालय मातहत ने अपीलान्त के विरोध के बावजूद भी नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है। जबकी अदालत मातहत को अपीलान्तस ने यह बता दिया था की यह विक्रय पत्र अवैध है, पैतृक भूमि का बेचान किया जा रहा है जो नुमाईशी विक्रय पत्र है। इसके आधार पर कोई नामान्तरकरण कारवाई तस्दीक नहीं की जा सकती है लेकिन बावजूद अपीलान्तस के ऐतराज के अदालत मातहत ने नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो अवैध कार्यवाही है। पैतृक सम्पत्ति का बेचान कर्ता खानदान अपने हिस्से तक का ही कर सकता है और वैसे भी एक ससुर अपनी पुत्रवधु को को बेचान करता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि किसी प्रकार का प्रतिफल का अंतरण नहीं हुआ है और ना ही कब्जे का हस्तान्तरण हुआ है। जिस प्रकार अपीलान्त के विरोध के बावजूद तस्दीक किया गया नामान्तरकरण प्रविष्ट सं. 815 दिनांक 29.01.2020 भूमि खसरा नं. 401, 195, 407/209 गांव सारी तहसील चिडावा अवैध होने से काबिले निरस्त है। उक्त नामान्तरकरण आदेश प्रविष्ट सं. 815 एक अधिकारातीत व अवैधानिक कार्यवाही है। पटवारी व तहसीलदार चिडावा को पैतृक भूमि में रेस्पोजेन्ट सं. 3 का नाम से नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं था जिस कारण यह एक शून्य एवं प्रभावहीन कार्यवाही होने से नामान्तरकरण सं. 815 दिनांक 29.01.2020 काबिले निरस्त है। बिना कब्जे व प्रतिफल के हस्तान्तरण के शाम दस्तावेज से कोई अधिकार पैदा नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अदालत मातहत नामान्तरकरण सं. 815 दिनांक 29.01.2020 एक अवैध व शून्य कार्यवाही होने से खारिज करने का आदेश प्रदान करे।

रेस्पोजेन्ट सं0 2 ( 1 ) लगायत 2 ( 5 ) बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोजेन्ट सं0 2 ( 1 ) लगायत 2 ( 5 ) के विरुद्ध एकतरफा बहस सुनने की कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्तस ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि सम्वत् 2012-2013 में ही विवादित भूमि खसरा नम्बर 401, 195, 407/209 धन्नाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है जिसने अपने जीवन काल में भूमि को काश्त किया है। धन्नाराम की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पांच पुत्रों में भूमि का विभाजन हो जाने के बाद पांचो पुत्रों में वंश-वंशावली के अनुसार अपने-अपने हिस्से में काबिज हो गए जिसका

  
बला कलक्टर मुन्शुनू

कोई विवाद नहीं है। अपीलान्त का पिता महताब उक्त भूमि के आदि पुरुष धन्नाराम का ही पुत्र है। जिसका पैतृक सम्पत्ति होने के कारण अपने पिता से 1/5 हिस्सा वंशानुगत प्राप्त हुआ है। महताब के तीन पुत्र नन्दलाल, बलबीर व दरियासिंह तथा एक पुत्री सन्तोष है। जिस प्रकार विवादित भूमि पैतृक मुनि होने से यह सहदायिकी का गठन करती है। एक coparcerner property है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तथा अमेंडमेंट 2005 के तहत भी जिसमें सभी coparcerner सदस्यों का by birth हक होता है। महताब के सभी पुत्र भी मौके पर अपनी-अपनी भूमि का मौखिक बंटवारा करके काबिज है। अलग-अलग काश्त करते हैं, चूंकि महताब एक वृद्ध व्यक्ति है जिसने सभी पुत्रों को भूमि का बंटवारा करीब 14 वर्ष पहले ही कर दिया था। दिनांक 18.11.2019 को अपीलान्तस के पिता महताब ने अपीलान्त के दूसरे भाई व भाभी के अनुचित प्रभाव में आकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 401, 195, 407/209 में अपना हिस्सा 1/5 में से 1/15 बेचान अपीलान्त की भाभी के पक्ष में अवैध तरीके से पैतृक भूमि को अन्तरण कर विक्रय पत्र करवा दिया। चूंकि विवादित भूमि एक सहदायिक सम्पत्ति है। पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें अपीलान्त के पिता महताब मात्र हिस्सा 1/25 का ही अन्तरण कर सकता है जो मात्र 0.2228 हैक्टर भूमि का ही बेचान करके अन्तरण कर सकता है। पुश्तैनी/पैतृक भूमि का अपने हिस्से से ज्यादा बेचान कर्ता खानदान बिना परिवार के सदस्यों की सहमति के नहीं कर सकता अपीलान्त के पिता को प्रभाव में लेकर रेस्पोजेन्ट स. 3 ने एक नुमाईशी एवं फर्जी विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जो शून्य है। अवैध है। उक्त विक्रय पत्र से कोई भी अधिकार पैदा नहीं होते हैं। उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर न्यायालय मातहत ने अपीलान्त के विरोध के बावजूद भी नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है। जबकी अदालत मातहत को अपीलान्तस ने यह बता दिया था की यह विक्रय पत्र अवैध है, पैतृक भूमि का बेचान किया जा रहा है जो नुमाईशी विक्रय पत्र है। इसके आधार पर कोई नामान्तरकरण कारवाई तस्दीक नहीं की जा सकती है लेकिन बावजूद अपीलान्तस के ऐतराज के अदालत मातहत ने नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो अवैध कार्यवाही है। पैतृक सम्पत्ति का बेचान कर्ता खानदान अपने हिस्से तक का ही कर सकता है और वैसे भी एक ससुर अपनी पुत्रवधु को को बेचान करता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि किसी प्रकार का प्रतिफल का अंतरण नहीं हुआ है और ना ही कब्जे का हस्तान्तरण हुआ है। जिस प्रकार अपीलान्त के विरोध के बावजूद तस्दीक किया गया नामान्तरकरण प्रविष्ट सं. 815 दिनांक 29.01.2020 भूमि खसरा नं. 401, 195, 407/209 गांव सारी तहसील चिडावा अवैध होने से काबिले निरस्त है। उक्त नामान्तरकरण आदेश प्रविष्ट सं. 815 एक अधिकारातीत व अवैधानिक कार्यवाही है। पटवारी व तहसीलदार चिडावा को पैतृक भूमि में रेस्पोजेन्ट सं. 3 का नाम से नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं था जिस कारण यह एक शून्य एवं प्रभावहीन कार्यवाही होने से नामान्तरकरण सं. 815 दिनांक 29.01.2020 काबिले निरस्त है। बिना कब्जे व प्रतिफल के हस्तान्तरण के शाम दस्तावेज से कोई अधिकार पैदा नहीं होते हैं। यह प्रकरण राजस्व न्यायालय का है न कि सिविल न्यायालय का है। वकील अपीलान्त ने बहस के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील सं० 2582 उनवानी केसी लक्ष्मण बनाम केसी चन्द्रप्पा और अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2022, 2019 डीएनजे ( एस०सी० ) 115, 2016 ( 2 ) डीएनजे ( राज० ) 880 की नजीरों में पेश की। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अदालत मातहत नामान्तरकरण सं. 815 दिनांक 29.01.2020 एक अवैध व शून्य कार्यवाही होने से खारिज करने का आदेश प्रदान करे।


बहस के दौरान वकील रेस्पोजेन्ट सं० 3 ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त को विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। विक्रय पत्र को निरस्त करने के प्रावधान सी०पी०सी० में है। अपीलान्त की यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकती। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट सं० 1 ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के क्रम में अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित आदेश

दिनांक 29.01.2020 विक्रय पत्र के आधार पर बाद जांच पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्त का यह कथन उचित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तथा अमेंडमेट 2005 के तहत भी जिसमें सभी coparcerner सदस्यों का by birth हक होता है। अपीलान्त के पिता महताब विवादित भूमि खसरा नम्बर 89 में अपना हिस्सा 1/5 अर्थात 1.114 है0 में से 1/15 अर्थात 0.3713 है0 बेचान अपीलान्त की भाभी के पक्ष में अवैध तरीके से जरिये विक्रय पत्र किया है। अपीलान्त के पिता महताब मात्र अपना हिस्सा 1/5 में से 1/25 हिस्से का ही अन्तरण कर सकता है जो मात्र 0.2228 हैक्टर भूमि का ही बेचान करके अन्तरण कर सकता है। पुश्तैनी/पैतृक भूमि का अपने हिस्से से ज्यादा बेचान कर्ता खानदान बिना परिवार के सदस्यों की सहमति के नहीं कर सकता है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा का नामान्तरकरण आदेश संख्या 815 दिनांक 29.01.2020 भूमि खसरा नम्बर 195, 401, 407/209 ग्राम सारी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल0एस0कुडी )  
जिला कलक्टर झुंझुनूं  
झुंझुनूं